भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1365
बुधवार, 03 जुलाई, 2019/12 आषाढ़, 1941 (शक)

अधिक रोज़गार अवसरों के सृजन हेतु कदम

1365. श्री विजय पाल सिंह तोमरः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नीति आयोग ने देश में बेरोजगारी में वृद्धि को स्वीकार किया है;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान रोजगार वृद्धि दर में गिरावट आई है;

(ग) क्या 15-29 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी भी बढ़ रही है और यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(घ) सरकार रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करने के लिए संभवतः कौन-कौन से कदम उठाएगी और कार्यक्रमों को शुरू करेगी?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से ग): रोजगार-बेरोजगारी पर श्रम बल सर्वेक्षण श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं, ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2015-16 के दौरान आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आयोजित किया, जो 2017-18 के दौरान आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर तथा कामगार जनसंख्या अनुपात नीचे दिया गया हैः

सर्वेक्षण*	2017-18 (पीएलएफएस)	श्रम ब्यूरो द्वारा रोजगार-बेरोजगारीसर्वेक्षण (2015-16)
बेरोजगारी दर (15 की आयु एवं उससे अधिक)	6%	3.7%
बेरोजगारी दर (15-29 वर्ष आयु)	17.8%	10.2% (18-29 वर्ष की आयु)
कामगार जनसंख्या अनुपात (15 की आयु एवं उससे अधिक)	46.8%	50.5%
कामगार जनसंख्या अनुपात (15-29 वर्ष की आयु)	31.4%	42.4% (18-29 वर्ष की आयु)

(टिप्पणीः *पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन अलग-अलग हैं)

(घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों के लिए आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार तक पहुंच हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

*****